संख्या- 116/2015/332/22-4-15-48(32)/07

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 15 मई, 2015

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर जिला कारागार, इलाहाबाद के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5255/नम-2, दिनांक- 19.02.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर जिला कारागार, इलाहाबाद के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1,60,11,29,000/- (रूपया एक अरब साठ करोड़ ग्यारह लाख उन्तीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 10,00,00,000/- (रूपया दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना के अन्तर्गत लेवलिंग, आंतरिक रोड, सीवर लाइन, डिस्ट्रीव्यूसन लाइन, स्टार्म वाट ड्रेन, हर्टीकल्चर आपरेशन, ट्यूबवेल एवं बोरिंग आदि कार्य हेतु एक मुश्त आधार पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतः निर्माण से पूर्व इन समस्त कार्य मदों का विस्तृत आगणन शिड्यूल आफ रेट्स पर गठित किया जाय तथा उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत सी0सी0टी0वी0, एस0एस0 कन्ट्रोल सिस्टम, डोर मेटल डिटेक्टर, हैण्ड मेट डिटेक्टर, एक्सरे, मशीन, गार्डटूल सिस्टम, ईपीबीएक्स पीए सिस्टम, किचेन उपकरण, यू0पी0एस0, एच0डी0पी0ई0 पाइप की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षण हेतु प्रमुख सचिव कारागार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति संतुष्ट होने के पश्चात उक्त कार्य मदों की लागत अनुमन्य करेगी। समिति द्वारा संस्तुत लागत की सीमा तक परियोजना की लागत बढ़ी मानी जायेगी। इस हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) प्रायोजना अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कुर्सी क्षेत्रफल में परिवर्तन एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो को कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी सवीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त- पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का निमयमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- परियोजना से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मूलयांकन टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-686/दस-2015, दिनांक-15 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-116/2015/332(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम,लि0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in